Title: Demand to include the Santhali and major spoken language in state of Jharkhand in the Eight Schedule of the Constitution.

श्री सालखन मुर्मू (म्यूर्भंज) : महोद्य, मैं भारत के आदि्वासि्यों से संबंधित एक गम्भीर मामला सदन के समक्ष और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। संविधान की आठ्वीं अनुसूची में आज तक भी एक आदि्वासी भाा को शामिल नहीं कि्या ग्या है। ज्बकि संविधान में मौलिक अधिकार के रूप मे आर्टिकल 29(1) में यह बात लिखी गई है कि जिन लोगों की अपनी भाा है, लिपि है, संस्कृति है, उनको बचाने और बढ़ाने का अधिकार है। इस वि्ाय को मैंने दो बार 12्वीं लोक्सभा में उठ्ाया और इस बार भी उठ्ाया है। इस वि्ाय में माननी्य गृहमंत्री जी ने लिखित रूप में कहा है कि हम एक हाई-पा्वर कमेटी बनाकर इस सम्स्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके वि्रोध में बि्हार, बंगाल, अ्सम, उड़ी्सा और झारखण्ड राज्यों के लोग आल-इंडि्या संथाली भाा मोर्चा के नेतृत्व में आन्दोलन करने के लिए मज्बूर हैं। 25 सि्तम्बर को हमने रेल-रोको अभि्यान कि्या और फिर 8 दि्सम्बर को रेल-रोको अभि्यान करने के लिए मज्बूर हैं। हम मांग करते हैं कि संथाली भाा को आठ्वीं अनुसूची में शामिल कि्या जाए और झारखण्ड प्रदे्श की कम से कम एक आदि्वासी भाा, जो स्ब्से ज्यादा बोली जाती है, संथाली को राज्भाा का दर्जा दि्या जाना चाहिए ।